159

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर ।

प्रकरण क्रमांक /2013 प्र/निगरानी/मुरैना/भू.रा./2018/01345

श्री रामेश्वर शर्मा, अधि. द्वारा आज दि. 22/2/18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 8/3/18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

जसोदा पत्नी रामचरन कुशवाह
निवासी ग्राम जाटौली, हाल निवास
ईंट भट्टा, एम0एस0 रोड, वार्ड क्र0 11
सबलगढ़, जिला मुरैना (म0प्र0)
---- आवेदक

विरुद्ध

रेवती पुत्र अंगद, जाति रावत
निवासी ग्राम जाटौली, तह0 सबलगढ़,
जिला मुरैना (म0प्र0)
----- अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959,
विरुद्ध आदेश दिनांक 16-1-18 द्वारा पारित न्यायालय
अपर आयुक्त चम्बल संभाग, प्रकरण क्रमांक 172/16-17 अपील,
जसोदा विरुद्ध रेवती के निर्णय से दुखित होकर ।
----0-----

श्रीमान् जी,

आवेदक की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

(1)- यह कि, सर्वे नम्बर 301/2 रकबा 0.240 हे0 स्थित ग्राम नन्दवाना तह0 सबलगढ़, जिला मुरैना (म0प्र0) की प्रकरण में अनावेदक रेवती को बताया जा रहा है जबकि प्रकरण में कोई रिकार्ड मौजूद नहीं है ।

(2)- यह कि, अनावेदक द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष धारा
--2

... द्वारा कानूनी बिन्दु पर विचार नहीं
--3

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक दो–निग / मुरैना / भू.रा. / 2018 / 1344

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23/03/18	आवेदक के अभिभाषक को निगरानी की ग्राह्यता पर सुना जा चुका है। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ, अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 192 / 16717 अपील में पारित आदेश दिनांक 16–1–2018 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है। 2 / आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को के क्रम में अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 192 / 16–17 अपील में पारित आदेश दिनांक 16–1–2018 में आये तथ्यों से परिलक्षित है कि ग्राम नन्दवाना की आराजी क्रमांक 301 / 2 रकबा 0.240 है. रेवती पुत्र अंगद रावत के नाम है जिस पर आवेदक व्दारा जबरन कब्जा कर लेने के कारण रिकार्डेड भूमिस्वामी की मांग पर तहसील न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 1 / 14–15 अ–70 पॅजीबद्व होकर आदेश दिनांक 25–2–16 से बेदखली के आदेश दिये जाकर मूल भूमिस्वामी को कब्जा सौंपे जाने के आदेश हुये है। इस आदेश के विरूद्व आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ के समक्ष अपील प्रस्तुत की है, जो प्रकरण क्रमांक 28 / 2016717 अपील पर दर्ज की गई तथा पक्षकारों की सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 27–2–17 से अपील निरस्त हुई है इसके उपरांत अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है। अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 192 / 16717 अपील में पारित आदेश दिनांक 16–1–2018 से अपील निरस्त की है। आवेदक के अभिभाषक तर्को के दौरान यह	

समाधान नहीं करा सके हैं कि जब ग्राम नन्दवाना की आराजी कमांक 301/2 रकबा 0.240 है. रेवती पुत्र अंगद रावत के नाम है तब इस भूमिस्वामी की भूमि पर आवेदक को किस प्रकार स्वत्व अथवा किस प्रकार का हक पहुंचता है। इसके विपरीत तहसीलदार सवलगढ़ व्दारा आदेश दिनांक 25–10–16 में, अनुविभागीय अधिकारी सवलगढ़ व्दारा व्दारा आदेश दिनांक 27–2–17 में तथा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा आदेश दिनांक 16–1–18 में निकाले गये निष्कर्ष समरूप हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में आगे सुनवाई का औचित्य न होने से इसी–स्तर पर अमान्य की जाती है।

सदस्य